कार्यालय संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक– 2015/12245/GKR/Gorakhpur/116/JD दिनांक–अगस्त, 17 2015

सेवा में,

सहायक अभियन्ता,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर।

विषयः– प्लाट/खसरा नं0–1019, 1020, 1021/1, 1021/2, 1022mi, 1022/1ka, 1022/2, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1033, 1034, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046/2, 1047, 1133, 1134mi, 1135mi, 1135ka, 1137, 1139, 1140, 1141mi, 1141ka, 1142mi, 1142ka, 1143mi, 1143/1, 1143/2ka, 1144, 1145, 1145/1, 1145/2, 1146, 1147, 1046/1, 1148/1, 1148/2, 1148/3, 1149/2, 1149/3, 1150/1, 1150/2, 1151, 1154, 1154/1, 1154/2, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1162mi, 1163, 1166, 1167, 1174, 1175, 1193/1, 1193/2, 1194/1, 1194/2, 1195/1, 1195/2, 1196ka, 1197, 1198, 1198/2, 1201, 1202, 1203 तालरामगढ़(देवरिया बाईपास रोड) पर ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र संख्या–938/2015 जिला–गोरखपुर में प्रस्तावित मैसर्स–एस्प्रा लाईफ स्पेशस, द्वारा निदेशक, श्री अनूप सराफ व अन्य गांधी गली गोलघर गोरखपुर के प्रस्तावित भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:–

महोदय,

कृपया आपके पत्र पत्र संख्या–583/मानअनु0/गो0वि0प्रा0/2015–16 दिनांक–23.07.2015 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओ एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर एवं उपनिदेशक, फायर सर्विस गोरखपुर, जोन गोरखपुर द्वारा किया गया है। आख्या दिनांक– 11/08/2015 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है।

भवन की संरचना

1–कुल भूखण्ड एरिया–107467.60 वर्ग मीटर
1–निर्मित भूतल कवर्ड एरिया–2308.93 वर्ग मीटर **(कुल चार ब्लाकों का स्टील्ट फ्लोर)**
2–प्रथम तल से उपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया–31789.06 वर्गमीटर (प्रत्येक तलवार विवरण
अ–प्रथम तल आच्छादित एरिया–2013.61 वर्गमीटर(कुल चार ब्लाकों का)
ब–द्वितीय तल से तेरह तल तक प्रत्येक तल का आच्छादित एरिया–2308.93 वर्गमीटर(कुल चार ब्लाकों का)
स–चौदहवें तल का आच्छादित एरिया–2068.29 वर्गमीटर(कुल चार ब्लाकों का)
3–बेसमेन्ट प्रथम का कवर्ड एरिया–9054.44 वर्गमीटर(कुल चार ब्लाकों का)
4–बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया–शून्य वर्ग मीटर
5–बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया–शून्य वर्ग मीटर.
6–भवन की उचॉई–42.08 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की श्रेणी–A4(Apartment houses) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।
(सामूहिक आवासीय भवन होने पर उसमें प्रयुक्त मैटीरियल टाइप–प्रथम)

ढॉचागत व्यवस्थाः–

1–पहुँच मार्गः–भूखण्ड के सामने मानचित्रों में–24.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।
2–प्रवेश द्वारा की चौड़ाईः–प्रवेश द्वारा 7.00 मीटर के प्रस्तावित है जो मानक के अनुसार है।

क्रमशः–2 पर

3–सैटबैकः–प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः–:(नोट–प्रस्तावित भवन 04 ब्लाकों में प्रस्तावित है तथा प्रत्येक ब्लाक एक–दूसरे से 13 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित है, जो मानक के अनुसार है)

ए0–अग्रभाग–13.00 मीटर
बी0–पृष्ठभाग–13.00 मीटर
सी0–पार्श्वभाग प्रथम–13.00 मीटर
डी0–पार्श्वभाग द्वितीय–13.00 मीटर है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबेक भवन नियमावली के अनुसार सैटबेक सदैव अवरोधमुक्त रखे जायेगें। सैटबेक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4–निकास मार्गः–प्रस्तावित भवन में–02 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 2 एवं 1.25 मीटर का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर की समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5–रिफयूज एरिया का विवरणः–एन0बी0सी0 के क्लाज–04.12.3 के नोटशीट के अनुसार प्राविधानित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नाकिंत अग्निशमन व्यवस्थायें पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1–भूमिगत टैंकः–भूमिगत टैंक–प्रत्येक ब्लाक में 75000 लीटर क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित किया गया है।

2–पम्पः–अण्डर ग्राउन्ड टैंक के पास मेन पम्प प्रत्येक ब्लाक में 1620 एल0पी0एम0 क्षमता का विद्युत चालित पम्प, डीजल चालित पम्प 1620 एल0पी0एम0 क्षमता, जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का प्राविधानित है।

3–होजरीलः–प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल आई0एस0–3844 मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर प्रस्तावित है।

4–वेटराइजरः–प्रस्तावित भवन के मानचित्र में एन0बी0सी0–2005 के मानकों के अनुसार प्रत्येक ब्लाक के प्रत्येक तल पर 02–02 वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टम प्रस्तावित है।

5–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेन्ट होज केबिनट एवं डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप तथा एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0–13039:1991 के अनुसार प्रत्येक ब्लाक में प्रस्तावित है।

6–हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः–मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान प्रत्येक ब्लाक में एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्रस्तावित है।

7–स्वः चालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः–भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित नहीं है।

8–स्वः चालित स्प्रिंकलर सिस्टमः–बेसमेन्ट एरिया में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार प्रस्तावित है।

9–टेरिस टैंकः–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक की टेरिस पर टेरिस टैंक–10,000 लीटर क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

10–टेरिस पम्पः–प्रस्तावित भवन की टेरिस टैंक के पास पर टेरिस पम्प एन0बी0सी0 के अनुसार वाछिंत नहीं है।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):–प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है, जो मानकों के अनुरुप 740 ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 06 कि0ग्रा0 का प्रस्तावित है।

12–स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टमः–स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम

ए0–फायर चेकडोर, स्मोक चेकडोर की लोकेशन व रेटिंग का 02 घन्टा व भूतल वेसमेन्ट पर प्रस्तावित है।

बी0–सिस्टम की मैक अप एयर हेतु व्यवस्था की गई है–भूतल पर।

सी0–सिस्टम रिजरवायर एवं अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुये एक्सट्रेक्शन सिस्टम का तकनीकी विश्लेषण एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्राविधानित है।

13–प्रेशराईजेशन प्रणालीः–एन0बी0सी0 मानक के अनुसार भूतल पर प्राविधानित है।

14–एग्जिट साईनेजः–सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज प्रस्तावित है।

15–पी0ए0सिस्टमः–पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्रस्तावित है।

16–प्रत्येक ब्लाक के चारों तरफ बेसमेन्ट में आने वाले भाग का स्लेप जो सेटबैक में आ रहा है, को 45 टन भार वाहन क्षमता का निर्माण कराया जाय।

17–बेसमेन्ट में 12एअर चेन्जेज प्रतिघन्टा का स्मोक एग्झास्ट एक्प्यूमेन्ट लगाना आवश्यक होगा।

क्रमशः–3 पर

18–भूमि एवं भवन में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देना तथा अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना निर्माणदायी संस्था का उत्तरदायित्व होगा।

19–**आटोमेटिक फायर डिट्रेक्शन एण्ड सप्रेशन सिस्टमः**–प्रस्तावित भवन के इलेक्ट्रिक पैनल में आटोमेटिक डिट्रेक्टशन एण्ड सप्रेशन सिस्टम मय लीनर हीट सेंसिग ट्यूब स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

उतः उपरोक्तानुसार श्री/मैसर्स **एस्प्रा लाईफ स्पेशस, द्वारा निदेशक, श्री अनूप द्वारा रामगढ़ ताल देवरिया बाईपास रोड गोरखपुर में** प्रस्तावित भवन के निर्माण हेतु प्रोवोजिनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ईकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 में उल्लिखित मानकों के अनुसार करायें जायेगें, तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भौतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

17/8/15

संयुक्त निदेशक,
मुख्यालय फायर सर्विस,
उ0प्र0 लखनऊ।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ० प्र० – लखनऊ

प्रतिलिपि–

1– उपनिदेशक फायर सर्विस गोरखपुर, जोन गोरखपुर को सूचनार्थ।
2– मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ।
3– अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ।
4– मैसर्स–एस्प्रा लाईफ स्पेशस, द्वारा निदेशक, श्री अनूप सरार्फ व अन्य गांधी गली गोलघर गोरखपुर को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ हेतु।

—::—